

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2021 राजस्व अपील

1. रामजीलाल पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.08.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय मुकदमा नम्बर 89/2020 बउनवानी सरकार बनाम रामजीलाल अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।  
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांक: 18.02.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने अपीलान्त के विरुद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्त ने सम्वत् 2077 में खसरा नम्बर 1109/18 ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि 0.25 है. पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को नोटिस जारी किया अपीलान्त की तामील हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का मौका नहीं दिया एवं अपीलान्त को 75/- रुपये शास्ति एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 14.08.2020 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2020 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं न्याय के सामान्य प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त के विरुद्ध किसी प्रकार के कोई जुर्म के साक्ष्य नहीं मिलने के बाद भी अपीलान्त को दोषी मानते हुए दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट का एक भी तथ्य प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी दोषी मानकर सजा देने में कानूनन भारी भूल की है।



अति. जिला कलक्टर  
दौसा

अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट ने ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.25 है। भूमि पर वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होने एवं भविष्य में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करना व्यक्त करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए निर्णय दिनांक 14.08.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.25 है। भूमि पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 14.08.2020 को बेदखल कर शास्ति आरोपित करने के साथ ही 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.25 है। भूमि पर वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होने एवं भविष्य में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट का ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.25 है। भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2020 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( आर. के. मीना )  
अति. जिला कलेक्टर, दौसा

( आर. के. मीना )  
अति. जिला कलेक्टर, दौसा